संख्या- 27/1139/बयालिस-2016-09(निर्माण)/2012

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश शासन।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 20 सितम्बर, 2016**

विषय :- सैफई जनपद इटावा में स्पोर्टस कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 216/नि0 सैफई क्रिकेट स्टे0पत्रा0/2015-16, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या- 2422/बयालिस-2012-09(निर्माण)/2012, दिनांक 18 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या- 922/बयालिस-2012-09(निर्माण)/2012, दिनांक 03 जून, 2013, शासनादेश संख्या- 2832/बयालिस-2013-09(निर्माण)/2012, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013, शासनादेश संख्या- 1055/बयालिस-2013-09(निर्माण)/2012, दिनांक 28 अप्रैल, 2014 तथा शासनादेश संख्या- 1824/बयालिस-2013-09(निर्माण)/2012, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैफई में स्पोर्टस कालेज के निर्माण हेतु मूल प्रशासकीय स्वीकृत लागत रू0 1690.00 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित पुनरीक्षित लागत रू0 2100.34 लाख (रू0 इक्कीस करोड चौतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।

(3)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(6)- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखी जायेगी।

(7)- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार एवं लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9)- प्रभाग द्वारा लागत का आकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(10)- प्रश्नगत प्रायोजना विषयक पूर्व निर्गत शासनादेशों क्रमश: दिनांक 18.12.2012, दिनांक 03.06.2013, दिनांक 22.10.2013, दिनांक 28.04.2014 तथा दिनांक 06.08.2014 में उल्लिखित अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

(11)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2016-17 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-50-जनपद इटावा स्थिति सैफई में स्पोर्टस कालेज का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-940/X-2015, दिनांक 19 : सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 27/1139(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इटावा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, कानपुर/क्रीडाधिकारी, सैफई (इटावा)।
(9)- कम्प्यूटर प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in